प्रेस नोट
दिनांक 05.04.2024, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने की वांछित अभियुक्ता (चेयरमैन) को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–153/24, धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता उजमा राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.03.2024 को वादी सहायक राजस्व अधिकारी श्री गिरीश चन्द्र सोनकर द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि नगर पालिका परिषद में उपलब्ध अभिलेखों में मोहल्ला रकबागंज में स्थित दुकान सं0–15 व 16 को कूट रचित व अनियमित एवं अवैध तरीके से श्रीमती उजमा राशिद(वर्तमान चेयरमैन गोण्डा) के नाम पर अंकित करा दिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पायी गयी आरोपी अभियुक्ता उजमा राशिद को आज दिनांक 05.04.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. उजमा राशिद पुत्री डा0 सैय्यद राशिद इकबाल नि0 मोहल्ला रकाबगंज थाना को0 नगरजनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–153/24, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता।
02. उ0नि0 डिग्री प्रसाद गौतम।
03. उ0नि0 यू0टी0 सोनू कुमार।
04. म0उ0नि0 यू0टी0 किरन यादव।
05. म0आ0 मधुलिका सिंह।

प्रेस नोट
दिनांक 05.04.2024

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर ऐक्ट के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0–154/24, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. जितेन्द्र प्रताप सिंह, 02. गजाधर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.04.2024 को थाना तरबगंज के उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्तगण अपने–अपने घर में उपस्थित है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा ग्राम लोढिया घाटा व ग्राम कोयली जंगल में दबिश देकर अभियुक्तगण जितेन्द्र प्रताप सिंह व गजाधर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु पशु क्रूरता अधि0 व गोवध निवारण अधि0 की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. जितेन्द्र पुत्र लाल सिंह नि0 लोढिया घाटा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. गजाधर सिंह पुत्र बाबू सिंह नि0 कोइली जंगल थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–154/24, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय।
02. उ0नि0 प्रशिक्षु गौरव सिंह।
03. हे0का0 इमरान अली।
04. हे0का0 शैलेन्द्र यादव।

प्रेस नोट,

दिनांक 05.04.2024

थाना कर्नलगंज पुलिस एवं SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में सर्राफे की दुकान में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में घटना में संलिप्त 01 शातिर लुटेरा घायल गिरफ्तार समेत कुल/04 शातिर बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे व निशानदेही पर लूट के 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 22 लाख रूपये नगद, लूट के रूपये से खरीदी गयी XUV कार, नया APPLE मोबाइल फोन कुल):48 लाख रुपए कीमत की लूट की संपत्ति बरामद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (, हेलमेट, 04 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज व स्वाटसर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु/0अ0सं0-97/24 , धारा 392 भादवि से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 शातिर लूटेरा राजा पाण्डेय उर्फ राघवेन्द्र पुलिस मुठभेड़ में घायल व अन्य 03 अभियुक्तो 01. सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय, 02. सूरज पाण्डेय व 03. फरहान अंसारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 22 लाख रूपये नगद (लूट के आभूषण बेच कर प्राप्त), लूट के पैसों से खरीदी गई XUV कार तथा APPLE मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 02 अदद हेलमेट, कपड़े व 04 अदद अवैध तमंचा मय 05 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस व वादी का बैग, आधार कार्ड, पासबुक, चाभी का गुच्छा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री विश्वनाथ शाह पुत्र श्री हरिद्वार शाह निवासी गांधीनगर थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 05.03.2024 को थाना को0 कर्नलगंज को लिखित सूचना दी कि दिनांक 04.03.2024 को रात्रि लगभग 22:00 बजे अपनी दुकान में हिसाब कर रहे थे तभी अचानक हेलमेट लगाकर 02 अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर दुकान से 10 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना, व 1,80,000/- नगदी रुपए डरा धमका कर लूट ले गए । उक्त सूचना पर तत्काल थाना कर्नलगंज व उच्चाधिकारीगण द्वारा स्वाटसर्विलांस/, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा शीघ्र सफल अनावरण हेतु एसओजीसर्विलांस टीम सहित / कुल05 टीमों का गठन किया गया। घटना के सफल अनावरण के क्रम में सभी टीमों द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज, अन्य तकनीकी व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। सभी टीमों के अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त कुल 04 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया जिसमे से एक बदमाश राघवेंद्र पांडे उर्फ़ राजा पांडे पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ हुआ है जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 22 लाख रूपये नगद लूट के आभूषण को बेच कर) (प्राप्त, लूट के पैसों से खरीदी गई XUV कार व APPLE मोबाइल इस प्रकार कुल) :48 लाख कीमत की लूट की संपत्ति बरामद (इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 02 अदद हेलमेट, कपड़े व 04 अदद अवैध तमंचा मय 05 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस व वादी का बैग, आधार कार्ड, पासबुक व चाभी का गुच्छा बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय वादी श्री विश्वनाथ शाह पुत्र श्री हरिद्वार शाह के सर्राफे की दुकान पर कुछ वर्ष पूर्व कई दिनों तक काम किया था तथा वहाँ के दिनचर्या से भलिभाँति परिचित था । राघवेंद्र उर्फ राजा पांडे द्वारा अपने भाई सूरज पांडे तथा सत्येंद्र उर्फ उदय पांडे के साथ उक्त सर्राफ की दुकान पर लूट करने की योजना बनाई गई तथा योजनाबद्ध तरीके से राजा पांडे व उदय पांडे द्वारा घटना के कुछ दिन पूर्व घटना के समय पहनने के लिए दो हेलमेट खरीदे गए तथा सड़क की दुकान से जैकेट तथा लोअर खरीदा गया । सहअभियुक्त फरहान अंसारी से घटना कारित

करने हेतु तमंचे खरीदे गए। अभियुक्त राजा पाण्डेय द्वारा वादी की दुकान में पूर्व में काम करने के कारण वहां आने जाने वाली तंग गलियों रास्तों से भलीभांति परिचित था तथा दिनाकं/04.03.2024 को सोमवार के दिन बाजार बन्दी होने के कारण सुनसान था जिसका लाभ उठाकर राघवेन्द्र उर्फ राजा पांडे द्वारा अपने भाई उदय पांडे के साथ सर्राफा की दुकान में लूट की घटना कारित की गयी थी तथा लूटे गये आभूषणो को सूरज पांडेय द्वारा लखनऊ के अमीनाबाग में बतासे वाली गली में ज्वेलर्स की दुकान पर बेचकर प्राप्त रूपयों से लखनऊ में एप्पल मोबाइल व लखनऊ कार बाजार से सेकंड हैंड XUV कार राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय के नाम पर खरीदी गयी।

नोटघटना के सफल अनावरण व लूट का माल बरामद करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक -: महोदय द्वारा25,000/- रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी शाहपुर बाजार, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी शाहपुर बाजार, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. सूरज पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी शाहपुर बाजार, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. फरहान अंसारी पुत्र इदरीश अंसारी निवासी आवास विकास कालोनी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-97/24, धारा 392 भादवि थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-142/24, धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 220 ग्राम आभूषण (पीली धातु)
02. 22 लाख रूपये नगद बरामद (लूट के आभूषण को बेचकर प्राप्त)
02. XUV कार UP32GW0077 सेकंड हैंड कार बाजार से लूट के पैसों से खरीदी गयी) कीमत)08.50 लाख रूपये।
03. APPLE मोबाइल लूट के पैसों से खरीदी गयी) कीमत)1.5 लाख रूपये।
    (इस प्रकार कुल 48 लाख कीमत की लूटी हुई संपत्ति बरामद(
04. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रंग काला बरामद।
05. घटना में प्रयुक्त 02 अदद हेलमेट, कपड़े, बैग बरामद।
06. 04 अदद अवैध तमंचा मय 05 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद।
05. वादी का बैग, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चाभी का गुच्छा बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक निर्भय नरायण सिंह मय टीम थाना को0 करनैलगंज गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता।
03. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 सुनील सिंह
04. हे0का0 अमित पाठक
05. हे0का0 अरूण कुमार
06. हे0का0 हृदय नरायण दिक्षित
07. हे0का0 रविकुमार
08. हे0का0 रणधीर सिंह

09. हे0का0 राजू सिंह
10. का0 अमितेश सिंह
11. का0 अंशुमान पाण्डेय

अपराधिक इतिहास -:

01. आपराधिक इतिहास राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय

01. मु0अ0स0 237/19 धारा 379, 411 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 272/20 धारा 364ए, 120बी, 216 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
03. मु0अ0स0 273/20 धारा 307, 34 भादवि व 3/5/25/27 आर्मस एक्ट थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

02. आपराधिक इतिहास सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय

01. मु0अ0स0 237/19 धारा 379, 411 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 272/20 धारा 364ए, 120बी, 216 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
03. मु0अ0स0 273/20 धारा 307, 34 भादवि व 3/5/25/27 आर्मस एक्ट थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

03. आपराधिक इतिहास सूरज पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय

01. मु0अ0स0 237/19 धारा 379, 411 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 272/20 धारा 364ए, 120बी, 216 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।
03. मु0अ0स0 273/20 धारा 307, 34 भादवि व 3/5/25/27 आर्मस एक्ट थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

04. आपराधिक इतिहास फरहान अंसारी पुत्र इंदरीश अंसारी

01. मु0अ0स0 154/17 धारा 354घ, 504,506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मु0अ0स0 937/19 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
03. मु0अ0स0 945/19 धारा 147, 148, 149, 307, 427, 504 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
04. मु0अ0स0 639/19 धारा 147, 323, 342, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
05. मु0अ0स0 222/20 धारा 327, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
06. मु0अ0स0 553/20 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
07. मु0अ0स0 405/20 धारा 323, 327. 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
08. मु0अ0स0 539/20 धारा 323, 327, 504, 506 भादवि व 3(1) द,ध एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।/
09. मु0अ0स0 586/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।